झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

-:: संकल्प ::-

विषय : अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य स्तरीय फीडर सेवा यथा राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य आरक्षी सेवा एवं राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों के लिये प्रोन्नति समिति का गठन ।

राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक-6147 दिनांक-7.11.03 के द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन तथा उसकी कार्य प्रणाली निरूपित की गई है ।

2. वर्णित संकल्प की कण्डिका-2(ii) के प्रावधानों के आलोक में समूह 'ग' के विभागों के विषयान्तर्गत सेवाओं के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति यथा स्तंभ-2 के अनुरुप होगी :-

समूह 'ग'

अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय आरक्षी सेवा भारतीय वन सेवा के लिए फीडर सेवा के रूप में वन एवं पर्यावरण विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग एवं गृह विभाग के अधीन राज्य प्रशासनिक से सेवा संवर्ग एवं राज्य आरक्षी सेवा एवं राज्य वन सेवा के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न रूपेण होगी :-

1	2
(क) प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम श्रेणी II एवं III तथा आरक्षी सेवा के वरीय प्रवर कोटि के उपाधीक्षक के पदों के लिये तथा सहायक वन संरक्षक से उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु ।	1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव को छोड़ कर उन्हीं के स्तर के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित वरीयता पदाधिकारी - सदस्य 3. सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य 4. गृह सचिव, मात्र उपधीक्षकों के लिए - सदस्य 5. सचिव, वन विभाग मात्र वन सेवा के लिये - सदस्य

6. महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक मात्र राज्य आरक्षी सेवा के लिए – सदस्य

7. मुख्य वन संरक्षक – सदस्य
(मात्र वन सेवा के लिए)

8. कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सचिव/ या समकक्ष अन्यून पदाधिकारी – सदस्य

9. कार्मिक विभाग में विषय से संबंधित प्रभारी संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ विशेष सचिव – सदस्य सचिव

(ख) प्रशासनिक सेवा के ही अपर समाहर्त्ता/ वरीय प्रवर कोटि पद स्तर के लिये दूसरी समिति निम्न रूपेण गठित होगी

1. सदस्य, राजस्व पर्षद – अध्यक्ष

2. सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग – सदस्य

3. वरीयतम प्रमण्डलीय आयुक्त – सदस्य

4. कार्मिक विभाग के द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के सचिव/ संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी – सदस्य

5. कार्मिक विभाग के प्रभारी उप सचिव/ संयुक्त सचिव/विशेष सचिव – सदस्य सचिव

3. वर्णित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार के संकल्प संख्या–6147 दिनांक–7.11.03 के अंकित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई कर, प्रोन्नति संबंधी अनुशंसा कर सकेगी ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रावधान राजकीय गजट में किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

11.03

(मुखत्यार सिंह),
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/वि0वि0प0–62/2002का0–6148 राँची दिनांक–7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

7.11.03

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/वि0वि0प0–62/2002का0–6148 राँची दिनांक–7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/ मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

7.11.03

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/वि0वि0प0–62/2002का0–6148 राँची दिनांक–7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

7.11.03

आयुक्त एवं सचिव ।